प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 03.08.2026

स्वाट टीम ग्रामीण व थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान चोरी की योजना बनाते हुए 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध देशी पिस्टल .32 बोर व 04 जिन्दा कारतूस .32 बोर, 01 अवैध तमन्चा 315 बोर, 02 अवैध चाकू व 01 क्रेटा कार बरामद।

दिनांक 02.08.2026 को स्वाट टीम ग्रामीण व थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चोरी की योजना बनाते हुए 04 अभियुक्तों 1. मोहसिन पुत्र सलीम निवासी यासीनगढी डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद 2. शानू पुत्र नवाब अली निवासी ग्राम उसरिया थाना मसूरी गाजियाबाद 3. शैलेन्द्र उर्फ शैली पुत्र किरनपाल निवासी ग्राम नंगला चौना थाना धौलाना जिला हापुड 4. असरफ पुत्र वहाब निवासी रोहन एन्क्लेव डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 01 अवैध देशी पिस्टल .32 बोर, 04 जिन्दा कारतूस .32 बोर, 01 अवैध तमन्चा 315 बोर, 02 अवैध चाकू व 01 क्रेटा कार बरामद जिसके संबंध में थाना भोजपुर पर धारा- 312/313 बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया कि हम लोग मौका पाकर चोरी की घटना कारित करते है। पूर्व में भी हम चोरी के अभियोग में जेल जा चुके है, रात्रि को हम लोग ग्राम भोजपुर में चोरी की योजना बना रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

1.मोहसिन पुत्र सलीम निवासी यासीनगढी डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 36 वर्ष
2.शानू पुत्र नवाब अली निवासी ग्राम उसरिया थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब 40 वर्ष
3.शैलेन्द्र उर्फ शैली पुत्र किरनपाल निवासी ग्राम नंगला चौना थाना धौलाना हापुड, उम्र करीब 38 वर्ष
4.असरफ पुत्र वहाब निवासी रोहन एन्क्लेव डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद. उम्र करीब 31 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

01 अवैध देशी पिस्टल .32 बोर व 04 जिन्दा कारतूस .32 बोर, 01 अवैध तमन्चा 315 बोर, 02 अवैध चाकू व 01 क्रेटा कार बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण उपरोक्त का आपराधिक इतिहास यक्ष ऐप के माध्यम से चैक किया गया तो अभियुक्त मोहसिन के विरूद्ध 01 अभियोग पुलिस मुठभेड का जनपद आगरा में, अभियुक्त शानू के विरूद्ध जनपद हापुड में 01 आर्म्स एक्ट व 01 चोरी का अभियोग पंजीकृत होना पाया गया है, अभियुक्त शैलेन्द्र के

विरूद्ध जनपद हापुड में लूट के 12 अभियोग व 04 आर्म्स एक्ट के अभियोग पंजीकृत होना पाया है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

स्वाट टीम ग्रामीण,
थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 03 मोटर साइकिल बरामद।

आज दिनांक 03.08.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त 1. मेहरान पुत्र मेहरबान उर्फ भोला शेख सिद्दकी निवासी मुगल गार्डन मसूरी थाना धौलाना जनपद हापुड़, उम्र करीब 21 वर्ष 2. जीशान पुत्र आसिफ शेख सिद्दकी हाल निवासी न्यू हिंडन विहार थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद मूल पता ग्राम दरियापुर थाना कोतवाली देहात जिला बुलंदशहर, उम्र करीब 27 वर्ष को थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी, लोनी व थाना मोरिस नगर दिल्ली में चोरी की गई 03 मोटरसाइकिल बरामद हुयी है। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम दोनों आपस में दोस्त हैं। हम दोनों पहले भी मोटरसाइकिल चोरी में जेल जा चुके है। हम दोनों पहले मोटरसाइकिल से घूमफिर कर रैकी करते हैं तथा मौका पाकर मोटरसाइकिल को चोरी कर लेते हैं। हम लोग फैक्ट्री एरिया ट्रोनिका सिटी, लोनी व दिल्ली आदि क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी करते हैं। चोरी की मोटरसाइकिलों को जंगल व घनी झाड़ियां में छिपा देते हैं और मौका देखकर हम लोग चोरी की मोटरसाइकिलों को दिल्ली कबाडी बाजार में बेचकर पैसे आपस में बांट लेते हैं। हमारे पास से जो 03 मोटरसाइकिल बरामद हुयी हैं वह हमने लोनी, ट्रोनिका सिटी व दिल्ली से चोरी की है। आज हम इन मोटरसाइकिलों को बेचने की फिराक में थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1 मेहरान पुत्र मेहरबान उर्फ भोला शेख सिद्दकी निवासी मुगल गार्डन मसूरी थाना धौलाना जनपद हापुड़, उम्र करीब 21 वर्ष।

2. जीशान पुत्र आसिफ शेख सिद्दकी हाल निवासी न्यू हिंडन विहार थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद मूल पता ग्राम दरियापुर थाना कोतवाली देहात जिला बुलंदशहर, उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से चोरी की 03 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व में भी उपरोक्त चोरी की

मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना लोनी में मोटरसाइकिल चोरी का 01 अभियोग, थाना ट्रोनिका सिटी में मोटरसाइकिल चोरी का 01 अभियोग, थाना मोरिस नगर दिल्ली में मोटरसाइकिल चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त मेहरान के विरूद्ध पूर्व में भी थाना मसूरी में मोटरसाइकिल चोरी के 02 अभियोग, थाना सिहानीगेट में चोरी के 02 अभियोग **(कुल 08 अभियोग)** पंजीकृत है ।
अभियुक्त जीशान के विरूद्ध पूर्व में भी थाना कोतवाली में आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग, थाना सिहानीगेट में एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग, थाना विजयनगर में एनडीपीएस एक्ट के 02 अभियोग, थाना विजयनगर में आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग, थाना विजयनगर में आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग, थाना सैक्टर 63 नोएडा में एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग **(कुल 11 अभियोग)** पंजीकृत है।
अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:-दिनांक 02.08.2026 को थाना इन्दिरापुरम पर वादिया द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्त राहुल माथुर पुत्र श्री संजय माथुर निवासी जी-1005, राजनगर रेजीडेंसी, राजनगर एक्सटेंशन, थाना नंदग्राम, जनपद गाजियाबाद द्वारा शादी का झूठा आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना इन्दिरापुरम पर तत्काल सुसंगत धारा 69 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा दिनांक 02.08.2026 की रात्रि में प्रभावी कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राहुल माथुर पुत्र श्री संजय माथुर, उम्र करीब 33 वर्ष, निवासी जी-1005, राजनगर रेजीडेंसी, राजनगर एक्सटेंशन, थाना नंदग्राम, जनपद गाजियाबाद को सीआईएसएफ कट के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह एक टूर एंड ट्रैवल्स कम्पनी में ऑपरेशन मैनेजर के पद पर कार्यरत है। वर्ष 2024 में एक इवेंट आयोजित कराने के संबंध में उसकी वादिया से ऑनलाइन मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच मोबाइल फोन पर बातचीत होने लगी तथा आपसी मेलजोल बढ़ गया। इसी दौरान उसने वादिया को शादी का झूठा आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- राहुल माथुर पुत्र श्री संजय माथुर, निवासी जी-1005, राजनगर रेजीडेंसी, राजनगर एक्सटेंशन, थाना नंदग्राम, जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना इन्दिरापुरम पर धारा 69 बीएनएस के अंतर्गत 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 04 वाहन बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 02.08.2026 को थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान कोयल एंकलेव मुख्य गेट के पास से 02 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान 01. शिवम उर्फ शुभम उर्फ राज अरोड़ा पुत्र राधेश्याम, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी बी-391, 60 फुटा रोड, शाहदरा, दिल्ली, हाल पता- कुलदीप हार्डवेयर की दुकान के पास, हर्ष विहार द्वितीय, थाना टीलामोड़, कमिश्नरेट गाजियाबाद तथा 02. जावेद पुत्र श्री शमीम, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी ई-43/ए-50, सीमापुरी, निकट निसारिया मस्जिद, थाना सीमापुरी, दिल्ली, मूल पता- बकरी चक्की बकीम, थाना कुरहनी, जनपद मुजफ्फरपुर, बिहार के रूप में हुई। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के **04 वाहन (03 मोटरसाइकिल एवं 01 स्कूटी)** बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर थाना टीला मोड़ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि वे नशे के आदी हैं। नशे एवं मौज-मस्ती के लिए वे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से दोपहिया वाहन चोरी करते थे। चोरी के बाद वाहनों को सुनसान स्थानों अथवा झाड़ियों में छिपा देते थे तथा अवसर मिलने पर उन्हें कम कीमत पर बेचकर प्राप्त धनराशि आपस में बाँट लेते थे। अभियुक्तों ने यह भी बताया कि उनका एक अन्य साथी **रेहान** भी वाहन चोरी की घटनाओं में शामिल है, जो मौके से फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. शिवम उर्फ शुभम उर्फ राज अरोड़ा पुत्र राधेश्याम, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी बी-391, 60 फुटा रोड, शाहदरा, दिल्ली, हाल पता- कुलदीप हार्डवेयर की दुकान के पास, हर्ष विहार द्वितीय, थाना टीलामोड़, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
2. जावेद पुत्र श्री शमीम, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी ई-43/ए-50, सीमापुरी, निकट निसारिया मस्जिद, थाना सीमापुरी, दिल्ली, मूल पता- बकरी चक्की बकीम, थाना कुरहनी, जनपद मुजफ्फरपुर, बिहार।
3. रेहान (वांछित) ।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी की 01 स्कूटी।
- चोरी की 03 मोटरसाइकिल।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त शिवम उर्फ शुभम उर्फ राज अरोड़ा के विरुद्ध उपरोक्त अभियोग के अतिरिक्त थाना साहिबाबाद पर 01 अभियोग, थाना टीलामोड़ पर चोरी का 01 अभियोग, थाना ईकोटेक-3 पर चोरी का 01 अभियोग तथा थाना कौशाम्बी

पर लूट के 05 अभियोग एवं गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त जावेद के विरुद्ध उपरोक्त अभियोग के अतिरिक्त थाना साहिबाबाद पर लूट की योजना का 01 अभियोग एवं आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग, थाना शालीमार गार्डन पर लूट का 01 अभियोग एवं चोरी का 01 अभियोग तथा थाना कोतवाली नगर, जनपद बुलन्दशहर पर आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम।

ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से करीब 09 किलो 330 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

कार्यवाही का विवरणः- ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत दिनांक 02.08.2026 की रात्रि में थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध मादक पदार्थ गांजा की बिक्री करने वाले 01 अभियुक्त रंजीत कुमार पुत्र भवसागर प्रसाद, उम्र करीब 33 वर्ष, निवासी झुग्गी-झोपड़ी, शक्ति खण्ड-4, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, मूल पता- ग्राम टेहटा, थाना मकदूमपुर, जनपद जहानाबाद, बिहार को ग्रीन बेल्ट रोड, शक्ति खण्ड-4 स्थित झुग्गी-झोपड़ी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से करीब **09 किलो 330 ग्राम अवैध गांजा** बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना इन्दिरापुरम पर धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह दिल्ली के आनन्द विहार क्षेत्र से एक अज्ञात व्यक्ति से गांजा खरीदकर लाता है। इसके बाद वह गांजे की छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर नशे के आदी व्यक्तियों को बेचता है तथा बिक्री से प्राप्त धनराशि से अपना एवं अपने परिवार का भरण-पोषण करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. रंजीत कुमार पुत्र भवसागर प्रसाद, उम्र करीब 33 वर्ष, निवासी झुग्गी-झोपड़ी, शक्ति खण्ड-4, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, मूल पता- ग्राम टेहटा, थाना मकदूमपुर, जनपद जहानाबाद, बिहार।

बरामदगी का विवरणः-

- करीब **09 किलो 330 ग्राम अवैध गांजा।**

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

अपराधियों की निगरानी हुई और सख्त :

कमिश्नरेट गाजियाबाद में विशेष सत्यापन एवं तलाशी अभियान

पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अपराधियों की प्रभावी निगरानी तथा कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से दिनांक **01.08.2026 एवं 02.08.2026** को विगत **05 वर्षों** में **सम्पत्ति सम्बन्धित अपराधों** एवं **गोवध अधिनियम** के अभियोगों में संलिप्त अपराधियों का व्यापक सत्यापन अभियान चलाया गया।

इस विशेष अभियान के अंतर्गत कमिश्नरेट के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा **लूट, स्नैचिंग, वाहन चोरी, अन्य चोरी तथा गोवध अधिनियम** से सम्बन्धित अभियोगों में संलिप्त रहे अपराधियों के वर्तमान निवास, गतिविधियों एवं आपराधिक प्रवृत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान संबंधित व्यक्तियों की वर्तमान स्थिति, निवास स्थान, रोजगार, सामाजिक गतिविधियों एवं पुनः अपराध में संलिप्तता की संभावना का भी परीक्षण किया गया।

अपराधियों के सत्यापन का जोनवार संख्यात्मक विवरण :-

जोन	अपराध में संलिप्त अपराधियों की संख्या	अभियान के दौरान सत्यापन की कार्यवाही की संख्या			
		जेल	जमानत	फरार	सत्यापन (शेष)
नगर जोन	**1268**	150	859	179	70
ट्रांस हिण्डन जोन	**1610**	117	573	419	501
ग्रामीण जोन	**1618**	89	985	120	422
कुल योग	**4496**	356	2417	718	993

अभियान के दौरान पुलिस टीमों द्वारा अपराधियों को भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में संलिप्त न होने की कड़ी चेतावनी दी गई तथा उन्हें कानून का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया। जिन अपराधियों के संबंध में संदिग्ध गतिविधियां अथवा पुनः अपराध में संलिप्त होने की आशंका प्राप्त हुई, उन्हें

चिन्हित कर उनकी सतत निगरानी की जा रही है। सत्यापित किये गये अपराधियों के सम्बन्ध मे यक्ष ऐप पर फीडिंग की जा रही है।

कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई, सक्रिय निगरानी तथा सत्यापन अभियान आगे भी निरंतर संचालित किए जाएंगे। जनपद में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक स्तर पर सतर्क एवं प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित की जा रही है। आमजन से भी अपील की जाती है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति अथवा आपराधिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को उपलब्ध कराएं, जिससे समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

जो अपराधी फरार हैं उनके सम्बन्ध में गहनता से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।